खण्ड-253, अंक-1
सोमवार, 19 माघ, शक संवत् 1886
(8 फरवरी, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 253 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अंश का श्री अध्यक्ष द्वारा पाठ ..	५
श्री तम्बेश्वरप्रसाद के निधन पर शोकोद्गार	५–७
प्रेस सम्वाददाताओं के विधान मंडप में निर्धारित स्थान परिवर्तन पर आपत्ति	७
उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कंट्रोल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ (मेज पर रखा गया)	७
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ (मेज पर रखा गया) ..	७
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ (मेज पर रखा गया)	७
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६४ (मेज पर रखा गया)	८
उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अध्यादेश, १९६४ (मेज पर रखा गया)	८
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ (मेज पर रखा गया)	८
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ (मेज पर रखा गया) ..	८
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	८–९
उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	९
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	९
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	९–१०
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा भत्ते का भुगतान) नियमावली, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१०
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यता से सम्बद्ध विवादों के निपटारों की) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१०
य० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१०
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) नियमावली, १९६४ (मेज पर रखी गयी)	१०
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों को चुनने की) नियमावली, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	११
१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में प्रख्यापित आज्ञा (मेज पर रखी गयी)	११
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की नियमावली, १९६४ (मेज पर रखी गयी)	११
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर निर्धारण नियमावली, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	११

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर अपील, पुनरीक्षण और वसूली नियमावली, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	१२
उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के वार्षिक प्रतिवेदन (मेज पर रखे गये) ..	१२
य० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१२
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१२
उत्तर प्रदेश की स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक व्यापार रोकने की नियमावली, १९६१ (मेज पर रखी गयी)	१२–१३
नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में लेखों की प्रतिलिपियों के लिये देय शुल्क विहित करने के नियमों में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१३
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (जन्म-मृत्यु पंजीयन) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१३
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप-प्रमुखों का निर्वाचन तथा निर्वाचन विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१३
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१४
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के उप-कुलपति की नियुक्ति से सम्बद्ध परिनियम (मेज पर रखे गये)	१४
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१४
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१४–१५
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ (शाब्दिक संशोधनों की सूची मेज पर रखी गयी)	१५
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ (शाब्दिक संशोधनों की सूची मेज पर रखी गयी)	१५
उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने का) (संशोधन) विधेयक, १९६४ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	१५
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१५
अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	१६
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१६
उत्तर प्रदेश कौनियल ग्रांपिटग विधेयक, १९६३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१६

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक, १९६४ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१६
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१६–१७
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९६४ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१७
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१७
विशेषाधिकार समिति का नवम्, दशम् तथा ग्यारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किये गये)	१७
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१८
उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५ (पुरः स्थापित किया गया)	१८–१९
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५ (पुरः स्थापित किया गया)	१९
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५ (पुरः स्थापित किया गया)	१९–२०
उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ (पुरः स्थापित किया गया)	२०
वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये) ..	२१–२४
नत्थियां	२५–४४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ८ फरवरी, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में २ १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गँदावेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउरहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बरेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दत्तदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री

प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
ब्रजनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्द्र, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण श्री
राजनारायण मिश्र, श्री

राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रताप सिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री

सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुम सिंह विसेन, श्री
हेतराम सह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
हरीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अंश का श्री अध्यक्ष द्वारा पाठ

श्री अध्यक्ष—

महामान्य राज्यपाल ने विधान मंडल की संयुक्त बैठक को सम्बोधित किया और आवाहन के कारण बताये । उसके कुछ अंश मैं आदरणीय सदन के समक्ष पढ़े देता हूं ।

"श्री सभापति, श्री अध्यक्ष तथा विधान मंडल के सदस्यगण—

मुझे हर्ष है कि वर्ष १९६५ के पहले सत्र के प्रारम्भ होने समय मुझे आपको फिर से एक बार सम्बोधित करने का और उन कार्यों के लिये जो आपके सामने आने वाले हैं आमंत्रित करने का अवसर मिला है ।

* * * *

मैंने संक्षेप में उन समस्याओं .....

प्रजातंत्र का आदर्श अपने समक्ष रखते रहेंगे ।

जय हिंद ।"

(पूर्ण भाषण के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५–२८ पर)

श्री तमेश्वरप्रसाद के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष जी, मुझे सदन के समक्ष एक बहुत दुःखद समाचार देना है । हमारे सदन के सदस्य और बस्ती जिले के बांसी क्षेत्र के माननीय सदस्य श्री तमेश्वरप्रसाद जी की यकायक मृत्यु हो गई । आप जानते हैं कि वह हमारे यहां के एक सुलझे हुये, समझदार तथा सौम्य सदस्य थे। वह एक पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिन्होंने हमारे आजादी के संघर्ष में जेल की यातनायें भोगीं। बस्ती जिले के वह एक सक्रिय कार्यकर्ता थे और वह सदा ही सदाचार को रखते हुये हर तरह की सेवा करने का प्रयास करते थे और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते थे। काफी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

दिन पहले से वह बीमार हुये थे, उन्हें हार्ट की बीमारी हो गई थी और कुछ दिन अस्पताल में रहे। उसके बाद हमने समझा था कि वह अस्पताल से छूट गये हैं तो कुछ अच्छे हो गये होंगे और अब फिर वह हमें सहयोग दे सकेंगे लेकिन वह एक दिन वकालत के कुछ काम से बांसी गये हुये थे जहां पर कि यकायक उनकी मृत्यु हो गई और हम लोग उनकी सेवाओं से वंचित हुए। मैं इस अवसर पर हार्दिक समवेदना उनके संतप्त परिवार के प्रति प्रकट करती हूं और आशा करती हूं कि आप हमारी समवेदना संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

*श्री शारदाभवर्तसिंह (जिला हरदोई)---

श्रीमन्, जो भावनायें माननीय मुख्य मंत्री ने प्रकट की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। माननीय तमेश्वरप्रसाद जी के निधन से महान क्षति हुई है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि विरोधी दल की ओर से उनके संतप्त परिवार को हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, जो भावनायें माननीय मुख्य मंत्री ने प्रकट की हैं मैं अपने दल और अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं और उनके दुखी परिवार के लिये समवेदना प्रकट करता हूं।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, श्री तमेश्वरप्रसाद जी बस्ती के निवासी थे, मेरे मित्र थे। मेरा उनसे पहला सम्पर्क जिला बोर्ड में हुआ। जिस शान्ति और संयम के साथ वह जिला बोर्ड का कार्य संचालन करते थे वह मेरे लिये प्रेरणादायक बना और बावजूद इसके कि हमारा उनका राजनीतिक मतभेद रहा, मैं कह सकता हूं कि वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे। उनके निधन से बस्ती जिले को क्षति पहुंची है तथा प्रदेश को भी पहुंची है। मैं अपने दल और अपनी ओर से संतप्त परिवार के लिये समवेदना प्रकट करता हूं।

*श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय तमेश्वरप्रसाद जी से मेरा परिचय उस समय हुआ था जब मैं विद्यार्थी की हैसियत से बस्ती के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। तभी से मैं उनसे काफी प्रभावित था। वह बस्ती जिले के कर्मठ कार्यकर्ता थे और बाद में धीरे-धीरे वह जनपद के नेता पद पर पहुंच चुके थे। बस्ती जिले के राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में भी उनकी अपनी विशेष देन थी। उनके निधन से जो क्षति हुई है, बस्ती जिले में कम से कम, उसकी पूर्ति निकट भविष्य में नहीं की जा सकती। मैं अपने दल की ओर से तथा अपनी ओर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी समवेदना को उनके परिवार तक पहुंचाने की महती कृपा करें।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, माननीय नेता सदन ने जो विचार माननीय तमेश्वरप्रसाद जी के संबंध में व्यक्त किये मैं अपने दल और अपने को उन विचारों से सम्बद्ध करता हूं। वह बहुत ही तपे तपाये उस क्षेत्र के नेता थे और इतने स्वस्थ और अच्छे दिखाई देते थे कि कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि हृदय की गति रुकने से उनका स्वर्गवास हो जायगा। इससे जो क्षति बांसी तथा बस्ती जिले की हुई है उसकी पूर्ति शीघ्र न हो सकेगी। मैं अपने दल तथा अपनी ओर से समवेदना प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी समवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)---

मान्यवर, मुख्य मंत्री तथा अन्य नेताओं के विचारों से अपने आपको तथा अपने दल को सम्बद्ध करते हुये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति मिले और संतप्त परिवार इस क्षति को वहन कर सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

जो भावनायें इस सदन में श्री तमेश्वरप्रसाद जी के देहावसान पर व्यक्त की गयीं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हुये बताना चाहता हूं कि उनकी लोकप्रियता तो वही जान सकता था जो वहां उस दिन मौजूद रहा हो, जिस दिन उनका देहावसान हुआ। मैं १६ नवम्बर को वहां मौजूद था, उनके घर पर गया था और जो जन सहानुभूति बस्ती के शहर में उनके प्रति दिखायी, चाहे वह जन समुदाय एक पक्ष का रहा हो या दूसरे दल का रहा हो, सभी एकमत होकर उनकी इस अकाल मृत्यु पर दुःखी थे। मैं इस आदरणीय सदन की समवेदना उनके संतप्त परिवार को भेज दूंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

(सब सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिये खड़े हुए।)

प्रेस सम्वाददाताओं के विधान मण्डप में निर्धारित स्थान परिवर्तन पर आपत्ति

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि आज यह जो प्रेस के लोगों के बारे में नया ऐरेंजमेंट किया गया है, वह किसकी सजेशन पर किया गया है। आखिर क्या खास वजह थी कि इस २८–३० वर्षों से चल रही परम्परा को तब्दील किया गया है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मैं नहीं समझ पाया कि जो ऐरेंजमेंट सन् ३७ से चल रहा था उसे बिना किसी नेता विरोधी दल से पूछे या माननीय सदस्यों से पूछे एकदम क्यों तोड़ दिया गया। डी० वी० गैलरी भी न जाने कहां रखी गयी और न जाने जो यहां पर मशीन लगी हुयी थी कहां चली गयी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और प्रेस वालों को यहीं बैठने दें।

उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कण्ट्रोल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४†

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कंट्रोल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४, को सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४†

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ को सदन की मेज पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९६४†

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ को सदन की मेज पर रखती हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६४†

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६४ को सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अध्यादेश, १९६५†

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अध्यादेश, १९६५, को सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५†

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५†

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा था कि जितने भी अध्यादेश मेज पर रखे जायेंगे वे माननीय सदस्यों को भी मिल जायेंगे। माननीय मंत्री जी इन्हें मेज पर रख रहे हैं। अतः जब तक हम को ये अध्यादेश न मिल जायें सदन में कोई कार्यवाही न की जाय।

श्री अध्यक्ष—

मेज पर तो रखा है। आप तक पहुंचने की आवश्यकता है। मैं यह जरूर चाहता हूं कि अध्यादेश माननीय सदस्यों को भेज दिए जायें।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

इस अध्यादेश के मामले में भी पार्लियामेंट की नजीर मानी जाय।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन††

मुख्य मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६२, में ६ पंचायती राज (२) की विज्ञप्ति संख्या ७७००(बी)/३३–१९६४,

---

† छापा नहीं गया।

†† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन ९

दिनांक ८ सितम्बर, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद, अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में प्रख्यापित संशोधन*

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में, खाद्य तथा रसद विभाग की विज्ञप्ति संख्या डब्ल्यू० एम० आर० ए० ए० एम० ७५१/२९—डी–२९–डब्ल्यु० एम–६४, दिनांक २५ अगस्त, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ की धारा ४३ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में खाद्य तथा रसद विभाग की विज्ञिप्ति संख्या डब्ल्यू० एम० आर० ए० एम० ११८१/२९–डी–४७–डब्ल्यू० एम०–६४, दिनांक १७ दिसम्बर, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ की धारा ४३ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० में खाद्य तथा रसद विभाग की विज्ञप्ति संख्या डब्ल्यू० एम०आर० ए०एम०–११८२/२९–डी–१८–डब्ल्यू० एम०–६४, दिनांक १७ दिसम्बर, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ की धारा ४३ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन*

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४१४५/१–क–६१५–डी–६३, दिनांक २१ सितम्बर, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३२२३/१–क––५५३–६१, दिनांक ११ अगस्त, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०, की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन*

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर प ण्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) नियमावली, १९६२ में पंचायती राज (२) विभाग की विज्ञप्ति

*छापे नहीं गये।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

संख्या ६५१९–बी/३३–५ आर–१९६१, दिनांक ८ सितम्बर, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा भत्ते का भुगतान) नियमावली, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन*

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से विज्ञप्ति संख्या १४७४–बी/३३–२२–आर–६१, दिनांक १ मार्च, १९६४ के अधीन हिन्दी में प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति से (यात्रा भत्ते का भुगतान) नियमावली, १९६३ में पंचायती राज (२) विभाग के शुद्धि-पत्र संख्या १२५५–बी ३३–२२–आर–६१, दिनांक २५ सितम्बर, १९६४ को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र-समिति (सदस्यता से सम्बद्ध विवादों के निपटारे) की) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन*

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यता से सम्बद्ध विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६२ में, पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६५१७–बी/३३–२८–आर–६१, दिनांक ८ सितम्बर, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में प्रख्यापित संशोधन*

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कण्डपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५, में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० बी० टी० आर० ए० एम० ९/२५५४–टी० एम०/३०-ख–९/६१/पी–६१, दिनांक १७ अगस्त, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २० में उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) नियमावली, १९६४†

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कण्डपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३४९२–ए(१)/३०–क–५. (१)–जी–६४, दिनांक ९ नवम्बर, १९६४ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) नियमावली, १९६४ को, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, १९६४ की धारा ३२ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।
†छापो नहीं गयो।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों को चुनने की) नियमावली, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन††

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों को चुनने की) नियमावली, १९६३ में, पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १८५२-ए/३३-३६-आर-६१, दिनांक १८ अप्रैल, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में प्रख्यापित आज्ञा†

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २४१ से २९४ में परगना जौनसार-बावर में उनकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या १७४९/१-क- २४७२-५९, दिनांक २० जुलाई, १९६४ के अधीन प्रख्यापित अनुकूलन, परिष्कार, परिवर्तन और अपवाद सम्बन्धी आज्ञा को जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ४१ के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों)की नियमावली, १९६४††

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)—

मैं विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७५६६/१७-२३१-६४, दिनांक २६ नवम्बर, १९६४ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की नियमावली, १९६४ को, उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की धारा ५ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर निर्धारण नियमावली, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर निर्धारण नियमावली, १९६३ में, नगरपालिका (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १६०८-सी/११-ग-१२६ सी-६४, दिनांक ३० अक्तूबर, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर अधिनियम, १९६२ की धारा २८ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

††छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर अपील, पुनरीक्षण और वसूली नियमावली, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर अपील, पुनरीक्षण और वसूली नियमावली, १९६३ में नगरपालिका (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्य १६१५-सी/११-ग—१२६-सी-६४, दिनांक ३० अक्तूबर, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर अधिनियम, १९६२ की धारा २८ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के वार्षिक प्रतिवेदन*

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के वार्षिक प्रतिवेदनों को कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९-ए के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में प्रख्यापित संशोधन*

खाद्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० बी० टी० आर० ए० एम०—१०/२६४४-टी० एम०/३०-ख, दिनांक २६ अक्तूबर, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में प्रख्यापित संशोधन*

खाद्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० ब ० आर० ए० एम०—६१/२६४४(१)-टी० एम० ३०-ख-२९-पी०-६४, दिनांक २६ अक्तूबर, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० बी० आर० ए० एम०—६२/३४९५-टी ० एम०/३०-ख—१४-पी०-६४, दिनांक २४ नवम्बर, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश की स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक व्यापार रोकने की नियमावली, १९६१†

स्वायत्त शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से समाज कल्याण विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३५४९/३६-स-क—६१३—५७, दिनांक ६ फरवरी, १९६१ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश की

---

*छापे नहीं गए।
†छापी नहीं गयी।

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक व्यापार रोकने की नियमावली, १९६१ को सप्रेशन आफ इम्मोरल ट्रैफिक इन वीमेंन ऐन्ड गर्ल्स ऐक्ट, १९५६ की धारा २३ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हू।

नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में लेख्यों की प्रतिलिपियों के लिए देय शुल्क विहित करने के नियमों में प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन मन्त्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ३५७ की उपधारा (१) के खंड (ग) में उल्लिखित लेख्यों की प्रतिलिपियों के लिए देय शुल्क विहित करने के नियमों में नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या २०९/म नि०१७ (सशो०–२)/११–ग–८४—कार्प–५९, दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उक्त अधिनियम की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (जन्म-मृत्यु पंजीयन) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन मन्त्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विज्ञप्ति संख्या १७७–म० नि०(१५)/११–ग—१–कार्प (१७)–५७, दिनांक १० मई, १९६२ के अन्तर्गत हिन्दी में प्रकाशित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (जन्म-मृत्यु पजीयन) नियमावली, १९६२ में नगरपालिका विभाग के शुद्धि-पत्र संख्या २११–म०–नि०—१५ (शु० प०–२)/११—ग०–१—कार्प (१७)–५७, दिनांक १ सितम्बर, १९६४ को, तथा विज्ञप्ति संख्या ४—म० नि०—१५ (संशो०—१)/११—१ ग०–१–कार्प (१७)–५७, दिनांक २६ नवम्बर १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप प्रमुखों का निर्वाचन तथा निर्वाचन विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन*

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप-प्रमुखों का निर्वाचन तथा निर्वाचन विवादों के निपटारे की) नियमावली, १९६२ में, पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २७३३–बी, ३३–१९—आर०–६१, दिनांक ६ जुलाई, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक २८ अगस्त, १ ६४ को सदन की मेज पर रखे गए थे और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १७२ (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गए।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन*

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (समितियों का निर्माण) नियमावली, १९६२ में, पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४६६०–बी/३३—२०–आर० ६१ दिनांक ९ जून, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार दिनांक २८ अगस्त, १९६४ को सदन की मेज पर रखे गए थे और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १७२ (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के उप-कुलपति की नियुक्ति से सम्बद्ध परिनियम*

कृषि उप मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मैं आपकी आज्ञा से कृषि (ख) विभाग की विज्ञप्ति संख्या बी—३०३१/१२—बी—८०४—५९, दिनांक १२ अगस्त, १९६४ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति की नियुक्ति से सम्बद्ध प्रथम परिनियम को, जो उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ की धारा २९ की उपधारा (१) के अनुसार दिनांक २ सितम्बर, १९६४ को सदन की मेज पर रखे गए थे और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १७२ (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ में प्रख्यापित संशोधन*

विद्युत् उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

मैं आपकी आज्ञा से लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ में नियुक्ति विभाग की विज्ञप्ति संख्या २७८६/२–बी—१५१–(३)–६२, दिनांक २७ जुलाई, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को, जो 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद ३२० के खण्ड (५) के अनुसार दिनांक २ सितम्बर, १९६४ को सदन की मेज पर रखा गया था और जिसके सदन की मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १७२ (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

मैं उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३३४७/१–क–५५२—डी–६४, दिनांक ११ अगस्त, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जो उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि

*छापे नहीं गये।

व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार दिनांक ७ सितम्बर, १९६४ को सदन को मेज पर रखे गए थे और जिनके सदन को मेज पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १७२ (२) के अनुसार पुनः सदन को मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधेयक, १९६३ में किए गए शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ में किए गए शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३० पर)

उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने का) (संशोधन) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने का) (संशोधन), विधेयक, १९६४ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १७ अगस्त, १९६४ को बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २७ अगस्त, १९६४ को बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १७ सितम्बर, १९६४ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का २०वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा—

मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ११ अगस्त, १९६४ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १९ अगस्त, १९६४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २८ सितम्बर, १९६४ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का २१वां अधिनियम बन गया।

---

*छापे नहीं गए।

अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अब ३ से अधिक हो गया है, ३ बजकर ५ मिनट हो गए हैं तो अब बजट पेश होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

बजट का दिन राज्यपाल द्वारा निश्चित होता है। समय के लिए वह हमारे और आपके अधिकार की बात है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

कृपया यह बतला दिया जाय कि बजट कितने बजे पेश होगा ?

श्री अध्यक्ष—

अभी पेश हो रहा है।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक, ३ सितम्बर, १९६४ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक, ११ सितम्बर, १९६४ को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक, ३० सितम्बर, १९६४ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का २२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कौनियाल ग्राफिटंग विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कौनियल ग्राफिटंग विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ३१ मार्च, १९६४ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ४ अगस्त, १९६४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २८ सितम्बर, १९६४ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का २३वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण विधेयक, १९६४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १२ फरवरी, १९६४ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ४ अगस्त, १९६४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १७ अक्तूबर, १९६४ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का २४वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधेयक, १९६३ पर, जो कि १६ दिसम्बर, १९६३ को उत्तर प्रदेश विधान सभा की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था और जिस पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन २९ जुलाई,

१९६४ को प्रस्तुत किया गया था एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ७ अगस्त, १९६४ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ८ सितम्बर, १९६४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २८ अक्तूबर, १९६४ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का २५वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ३ सितम्बर, १९६४ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ९ सितम्बर, १९६४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६४ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का २६वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ७ अगस्त, १९६४ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ९ सितम्बर, १९६४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १२ नवम्बर, १९६४ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६४ का उत्तर प्रदेश का २७वां अधिनियम बन गया।

विशेषाधिकार समिति का नवम्, दशम् तथा ग्यारहवां प्रतिवेदन*

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की, विशेषाधिकार समिति का नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की, विशेषाधिकार समिति का दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की, विशेषाधिकार समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह तो नयी परम्परा है अध्यक्ष महोदय। इनको यहां प्रस्तुत होने के साथ ही हमको भी मिलना चाहिए।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या ऐसा तो नहीं है कि बजट पेश करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है? यह देर क्यों हो रही है?

---

*छापे नहीं गए।।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसी दास)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि ३ माह और बढ़ा दी जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

कारण भी तो बतलाना चाहिए कि क्यों समय बढ़ा दिया जाय?

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, प्रवर समिति की बैठक कई दिन तक चली थी और उसमें माननीय सदस्यों ने काफी दिलचस्पी ली और उन्होंने अपने मूल्यवान सुझाव भी दिए। लेकिन सब लोगों की ख्वाहिश यह थी कि इसकी और बारीकी के साथ समीक्षा की जाय, इसलिए रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी और सभी समिति के सदस्यों का विचार था कि इस पर और विचार किया जाय। इसलिए समय को बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है और इसलिए यह प्रस्ताव लाया गया है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि ३ माह और बढ़ा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---

अध्यक्ष महोदय, मैं.....

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

मैं इसका विरोध करता हूं....

श्री अध्यक्ष---

अभी तो अनुज्ञा मांग रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव---

यह अवैधानिक है, पेश करने के पूर्व मैं उसका विरोध कर सकता हूं। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह बिना राष्ट्रपति महोदय की पूर्व स्वीकृति के नहीं लाया जा सकता। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ही कानून बना सकती है और वही वापस ले सकती है। इसलिए बिना राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के न तो ऐसा विधेयक लाया जा सकता है और न ही उसे सदन में पास कराया जा सकता है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जगनप्रसाद रावत---

अभी तो मैं अनुज्ञा ही मांग रहा हूं, जब विचार हो, तब आप विरोध करें....

श्री अध्यक्ष—

आप नियम १२५ देखें, उसमें यह है कि यदि किसी विधेयक के पुरःस्थापन करने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिए जाने की अनुज्ञा देने के पश्चात् बिना और वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेंगे, तो आपको कुछ कहना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मेरे पास उनकी अनुज्ञा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगनप्रसाद रावत—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३१–३३ पर)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक १९६५ को सदन में पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५ को सदन में पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक १९६५ को पुरःस्थापित करती हूं।

(देखये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३४–३६ पर)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५ को सदन में पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५ को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करती हूं।

(देखये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३७–३९ पर)

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ को सदन में पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

जहां तक सतर्कता आयोग का संबंध है, इसमें आई० ए० एस० आफिसर्स और जजेज भी आ जाते हैं जिनक अप्वाइन्टमेन्ट सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट या राष्ट्रपति से होता है। इसमें जब तक राष्ट्रपति की सैंकशन न हो, न यह पारित हो सकता है और न ही प्रस्तुत हो सकता है मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप कहते हैं कि राष्ट्रपति की अनुज्ञा होनी चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव—

जो राष्ट्रपति अप्वाइन्टमेंट करते हैं उन पर भी यह लागू होगा। इसलिये यह जरूरी है कि कोई सैंकशन आनी चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

इसके द्वारा तो इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर्स को पुलिस पावर ही दी जा रही है। इसमें उसकी जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ को सदन में पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ को सदन में पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४०–४४ पर)

वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के द्वितीय.....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री कैलाशप्रकाश जी वित्त मंत्री हैं भी या नहीं। इस सदन में जब आपकी यह व्यवस्था हो चुकी है कि अखबारों में निकले हुए किसी समाचार के आधार पर कोई बात नहीं कही जा सकती है तो मैं फिर यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई गजट या कोई गवर्नर महोदय की लिखित आज्ञा या सूचना आई है कि ये फाइनेन्स मिनिस्टर हैं ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

गजट नोटिफिकेशन निकल चुका है। कापी मंगा रहे हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, इसकी सूचना आपको भी तो होनी चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, २ सितम्बर, १९६४ को इसी सदन में यह व्यवस्था हुई थी जब डाक्टर जेड० ए०-अहमद ने ऐसी ही बात पर सवाल उठाया था। उनसे तब यह कहा गया था कि मैं इस बात को नहीं मानता। इसी तरीके से मुख्य मंत्री जी का कोई वक्तव्य नहीं माना जा सकता जब तक वे आपको गजट या लिखित नोटीफिकेशन प्रस्तुत नहीं करतीं। तब तक यह नहीं माना जा सकता कि श्री कैलाशप्रकाश जी वित्त मंत्री हैं और सदन के नियमों के अनुसार वित्त मंत्री ही बजट या अनुपूरक मांगों को सदन में प्रस्तुत कर सकता है।

श्री उग्रसेन—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक वाक्य मेरा भी सुन लिया जाय कि जब तक इसका प्रकाशन गजट में नहीं हुआ है तब तक आप इसकी जानकारी प्राप्त करके स्वयं संतुष्ट हो लें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा है कि उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है और इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, यह हमारे लिये पर्याप्त है।

श्री कैलाशप्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, नियमों में यह लिखा हुआ है कि डिमांड पेश करने के लिये राज्यपाल की आज्ञा चाहिए। बजट को प्रस्तुत करने के लिये राज्यपाल की आज्ञा आवश्यक है।

श्री कैलाशप्रकाश—

बजट को प्रस्तुत करने के लिये राज्यपाल की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले वर्षों की कार्यवाही यदि देखी जाय तो इसमें राज्यपाल की आज्ञा से बजट नहीं प्रस्तुत किया जाता है, डिमान्ड प्रस्तुत की जाती है।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, संविधान का आर्टिकल १६६ पढ़ें। श्रीमन्, उसमें साफ लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आज्ञा हो तो पढ़ें।

श्री अध्यक्ष—

नोटिफिकेशन जिसका माननीया मुख्य मंत्री ने उल्लेख किया है वह मेरे पास आ गया है।

श्री नेकराम शर्मा—

वित्त मंत्री ने यह कहा कि आपकी आज्ञा से मैं बजट प्रस्तुत करता हूं। यह जो धारा २०३ का (३) है उसमें साफ लिखा हुआ है कि राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग न की जायगी। १६६ में यह है कि....

श्री अध्यक्ष—

आप कौन-सी धारा पढ़ रहे हैं? इसमें १६६ के अनुच्छेद की बात नहीं है, उसमें तो यह है कि—

"(3) The Governor shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of the State, and for the allocation among Ministers of the said business in so far as it is not business with respect to which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion."

श्री नेकराम शर्मा—

जितने भी सप्लीमेन्टरी बजट प्रस्तुत हुए हैं, और होते हैं वे गवर्नर की आज्ञा से होते हैं...

श्री अध्यक्ष—

मगर आप सही अनुच्छेद नहीं दे रहे हैं, वह मैं दे रहा हूं, वित्त मंत्री जी चूंकि यह संवैधानिक प्रश्न है इसलिये आप कृपा कर २०५ पढ़ें, उसमें यह है कि "The Governor shall....

श्री उग्रसेन—

आप अब अंग्रेजी में न पढ़िये, अब २६ जनवरी, १९६५ के बाद अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है, हम अब अंग्रेजी नहीं पढ़ने देंगे, आप हिन्दी से पढ़ें।

श्री अध्यक्ष—

अनुच्छेद २०५ में यह प्राविधान है कि अनुपूरक अपर या अतिरिक्त अनुदान या सप्लीमेन्टरी के संबंध में यह है कि अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के वास्ते व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिये अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस वर्ष के वार्षिक वित्त-विवरण में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है या किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिये अनुदान की गई राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है या कोई ऐसी सेवा हो कि जो आपने बिना मंजूरी के खर्च कर दिया हो तो राज्यपाल यथा स्थिति राज्य के विधान मंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित की गई राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरण रखवायेगा अथवा यथास्थिति राज्य की विधान सभा में ऐसी अधिकाई के लिये मांग उपस्थित करायेगा।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आप कृपा कर १६६, २०५ तथा रूल १८६ तीनों को मिला कर पढ़ें, तो पता चलेगा कि गवर्नर की अनुज्ञा आवश्यक है।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, इस सदन की प्रथा यही रही है कि इसी तरह से अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत कर दिये जाते हैं और मैंने जो शब्द कहे....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

आपके बताने और पढ़ने के बाद भी मंत्री जी प्रथा का हवाला दे रहे हैं और जहां तक प्रथा का प्रश्न है, कभी भी हमारी जानकारी में ऐसी प्रथा नहीं रही है। आपने जो संविधान की धारा पढ़ी है .....

श्री अध्यक्ष—

वह बैठ नहीं रहे हैं इसलिये आप बीच में न बोलें।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इस सदन का जो भी कार्य होता है वह आपकी आज्ञा से होता है और आपने मुझे बुलाया इसलिये मैंने आपकी आज्ञा से कहा। और यदि यह बात भी है कि गवर्नर महोदय की आज्ञा प्राप्त होनी चाहिये तो वह भी प्राप्त हो चुकी है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, यदि आप संविधान की उन धाराओं को देखें जो कि आपने अभी पढ़ीं तो उससे साफ है कि राज्यपाल की अनुज्ञा की आवश्यकता थी, लेकिन मंत्री जी ने साफ कर दिया....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, जरा सुन लें।

एक आक्षेप उठाया गया और यह कहा गया कि बगैर राज्यपाल की अनुज्ञा के कोई वित्तीय विवरण इस आदरणीय सदन के समक्ष नहीं आ सकता। वह राज्यपाल की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, यह पर्याप्त है। अब इस पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मंत्री जी ने साफ कह दिया कि राज्यपाल की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कह दिया कि श्री राज्यपाल की आज्ञा की इसमें कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस समय आज्ञा आती है तो अध्यक्ष को उसकी एक प्रतिलिपि आती है। अभी तक आपके पास प्रतिलिपि नहीं आयी। अभी एक चपरासी माननीय मंत्री जी को कुछ दे गया। आप देखें कि गवर्नर के दस्तखत हैं कि नहीं।

श्री अध्यक्ष—

जो खयाल आपका है वह ठीक नहीं है। मांगों के बारे में मेरे पास सूचना आती है। दूसरे यह कि इस आदरणीय सदन की परम्परा रही है जिसका हमें आज भी आदर करना चाहिये। १९३७ से लेकर आज तक, टंडन जी की रूलिंग्स आप देखें, सरकार द्वारा यह कह देना कि उन्हें राज्यपाल की आज्ञा मिल चुकी है इतना सदन के लिये पर्याप्त है। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री की बात मैं मानता हूं और अब यह विषय समाप्त हुआ। इस संबंध में कोई बात नहीं होगी।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, इसी विषय में मुझे एक बात कहनी थी....

श्री अध्यक्ष—

अब वह विषय समाप्त हुआ।

अब हम उठते हैं और कल ११बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ३१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
८ फरवरी, १९६५।

नत्थी "क"

(देखिये पीछे पृष्ठ ५ पर)

राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष ८ फरवरी, १९६५ को प्रारम्भ होने वाले वर्ष १९६५ के पहले सत्र में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री विश्वनाथ दास, का अभिभाषण।

श्री सभापति,

श्री अध्यक्ष, तथा

विधान मंडल के सदस्यगण,

मुझे हर्ष है कि वर्ष १९६५ के पहले सत्र के प्रारम्भ होने के समय मुझे आपको फिर से एक बार सम्बोधित करने का और उन कार्यों के लिये जो आपके सामने आने वाले हैं आमंत्रित करने का अवसर मिला है।

गत ३ फरवरी, १९६४ को जब मैंने आपको संबोधित किया था, तब से जो समय बीता है वह दुखमय और चिन्तायुक्त था। पिछली मई में, राष्ट्र को अपने महान तथा प्रिय नेता जवाहरलाल नेहरू से विलग होना पड़ा जो इन तमाम वर्षों में राष्ट्र के भाग्य विधाता रहे। दिवंगत नेता के प्रति राष्ट्र शब्दों द्वारा अपनी कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकता। राष्ट्र ने जिस प्रकार उत्तराधिकार के प्रश्न को सुलझाया है और वह अपनी कठिन समस्याओं का जिस साहस के साथ सामना कर रहा है उससे काफी हद तक यह बात साबित होती है कि जिन आदर्शों के लिये नेहरू जी जीवित रहे तथा अपनी जान दी उनकी जड़ें लोगों के दिलों में बहुत गहरी हैं।

हमारी सीमा पर अभी खतरा बना हुआ है। प्रतिरक्षा की तैयारियों को तेजी से बढ़ाना होगा तथा भीतरी सुरक्षा को मजबूत बनाये रखना होगा। सीमान्त क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा रहा है तथा सिविल डिफेन्स और होम गार्ड्स संगठनों में उचित-रूप से भर्ती की जा रही है तथा ट्रेनिंग दी जा रही है।

विशेषाधिकार के प्रश्न को लेकर दुर्भाग्यवश जो वाद-विवाद उत्पन्न हो गया उससे एक कठिन स्थिति पैदा हो गयी जिससे राष्ट्रपति को उसे सुप्रीम कोर्ट की राय जानने के लिये भेजना पड़ा। यह एक बहुत नाजुक सवाल है और सारे देश के लिये महत्व का है जो केन्द्रीय सरकार और संसद दोनों ही के विचाराधीन है।

मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि हमारे राज्य और बिहार के बीच स्थायी सीमा के बहुत पुराने सवाल का हल अब सन्निकट है। इस बारे में संसद द्वारा अब आवश्यक कानून पास होना है।

आप सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री, अपने बजट भाषण में, आपके सामने सरकार के विकास और दूसरे कामों का एक पूरा व्योरा रखेंगे। इसलिये मैं उन्हें दोहरा कर आपका समय नहीं लेना चाहता बल्कि जिन कारणों से विधान मंडल के दोनों सदन बुलाये गये हैं उनको संक्षिप्त रूप में आपके सामने रक्खूंगा।

अनाज और शक्कर की बढ़ती हुयी कीमतें, जिसका मैंने अपने पिछले अभिभाषण में जिक्र किया था, और आमतौर पर खाद्य स्थिति, गत वर्ष के मध्य में अधिक खराब हो गयी जिससे सरकार की परेशानी बहुत बढ़ गयी। स्थिति को काबू में रखने के लिये कानूनी और दूसरी कार्यवाहियां की गयीं। उम्मीद है कि अगली रबी की फसल से, जिसके अच्छी होने की आशा है, खाद्य, स्थिति काफी सुधर जायगी। उपभोक्ता समितियों ने इस्तेमाल की चीजों की कीमतों में अनुचित वृद्धि को रोकने में सहयोग देने की कोशिश की है। ऐसी स्थिति फिर पैदा न हो इसके लिये दीर्घकालीन उपाय भी किये जा रहे हैं।

मुनाफाखोरी, जखीरेबाजी तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस सिलसिले में संसद ने कुछ कानूनों में उचित संशोधन किये हैं। राज्य में सतर्कता आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है जिसमें एक स्वतंत्र अनुसंधान शाखा है।

हम अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के आखिरी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और चौथी योजना की भी तैयारी कर रहे हैं। अपने पिछड़ेपन को देखते हुए, जिसे हमें दूर करना है, हमारे लक्ष्य बहुत साधारण हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये भी हमें अपने कुल साधनों को जुटाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि जनता किस हद तक यह भार उठा सकती है। राज्यों का साधन सीमित है, और राज्यों के पास उनकी आमदनी के जो जरिये हैं उनमें से ज्यादातर लचीले नहीं हैं। सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि वित्त आयोग तथा योजना आयोग इस घनी आबादी वाले राज्य की जरूरतों पर विचार करते समय उसके आर्थिक पिछड़ेपन का उचित ध्यान रक्खे।

राज्य के विकास कार्य आमतौर से योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। उत्पादन के कामों को उच्चतर प्राथमिकता दी गयी है तथा कृषि उत्पादन संघटन को अधिक मजबूत किया गया है। लघु सिंचाई कार्यक्रम तेजी से चलाया गया है और अब तक जो नतीजे मिले हैं उनसे आशा बढ़ी है। खेती, बागबानी, पशु-पालन, मुर्गी पालन और शूकरपालन के क्षेत्र में शीघ्र आमदनी देने वाली कुछ योजनायें तैयार की गयी हैं। कृषि उत्पादन तथा बिजली के साधनों के विकास के कामों को सब से अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। सहकारिता को भी खेती की पैदावार में, खेती की उपज की प्रक्रिया तथा खरीद फरोख्त करने में और जमा करने की सहूलियतें देने में उचित भाग दिया जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिये खास कार्यक्रम, जैसे कि गांव और नगर के क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों के लिये मजूरी-ठेका सहकारी समितियां तथा नगरों में रिक्शा चलाने वालों के लिये सहकारी समितियां बनाने का काम भी शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४, जो कि पहले से ही आपके सामने है, के कानून बन जाने के बाद सहकारी आन्दोलन को और भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

कई कारणों से पहली दो योजनाओं तथा तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में भी योजना के अधीन परिव्यय का उपयोग करने में कमी रही है। लेकिन सभी विकास विभागों में परिव्यय का उपयोग तथा कार्य करने में पिछले दो वर्षों में प्रत्यक्ष रूप से सुधार हुआ है। योजना के अधीन कुल परिव्यय, जो शुरू में ५०२ करोड़ रुपये रखा गया था, अब निश्चित रूप से काफी हद तक बढ़ जायगा।

अधिक लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करना जरूरी है। इस गरज से और राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये भी अधिक से अधिक उद्योगों को कायम करने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ में नैत्रिक उपकरण कारखाने (आप्टिकल इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी) और रामनगर में पेंसिलीन वायल्स बनाने के कारखाने का खास-तौर से जिक्र किया जा सकता है। खनिज संसाधनों (मिनिरल रिसोर्सेज) को काम में लाने के लिये हाल ही में हिमालय तथा मिर्जापुर क्षेत्रों की विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से भू तत्वीय (Geological) सर्वे किया गया है।

गांव के क्षेत्रों के कृषि औद्योगिक विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। पंचायतों का इस प्रकार से संघटन किया जा रहा है जिससे खेती के औजारों, सिंचाई के सामान, फर्नीचर, चूना आदि बनाने के लिये औद्योगिक केन्द्रों का विकास हो सके और कारीगरों को रोजगार मिल सके। चालू वर्ष के अन्त तक हर जिले में ऐसी एक इकाई बनाने का प्रस्ताव है। गांव के औद्योगीकरण को सुगम बनाने के उद्देश्य से देहातों में बिजली पहुंचाने का काम भी बड़े पमाने पर चल रहा है।

चौथी योजना के अन्त तक शक्कर की अधिकतम उत्पादन क्षमता को १५ लाख टन से बढ़ाकर २२.५ लाख टन तक करने का प्रस्ताव है। मौजूदा कारखानों को बढ़ाया जायगा और जल्दी ही सार्वजनिक क्षेत्र में तीन और सहकारी क्षेत्र में एक और इकाई कायम करने का प्रस्ताव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शक्कर मिलों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, किन्तु शक्कर की मिलों को गन्ने की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

राज्य में बनी चीजों के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार कार्यवाही कर रही है और इस काम के लिये एक निगम कायम करने का भी विचार कर रही है।

गत वर्ष में लगभग पूरे तौर से औद्योगिक शांति बनी रही। यह सुनिश्चित करने के लिये कि ट्रेड यूनियन कर्मकार वर्गों के फायदे के लिये भली भांति तथा स्वस्थ रूप से कार्य कर सकें, अलग से एक ट्रेड यूनियन कानून बनाने का विचार है। श्रमिकों के कल्याण के लिये और अधिक सहूलियतें देने और श्रमिकों तथा प्रबन्धक के संबंधों को बेहतर बनाने के लिये एक कानून बनाने का भी विचार है।

सरकार का विचार शेष कुछ नागर व अन्य क्षेत्रों में जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था कानून को शीघ्र ही लागू करने का है। आपके सामने एक व्यापक भूमि विधि संशोधन विधेयक भी रक्खा जायगा।

मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल होने योग्य देयों की वसूली के मौजूदा तरीकों को आसान बनाना जरुरी समझा गया है और इस काम के लिये रेवेन्यू रिकवरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक आपके सामने लाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि राज्य सरकार या राज्य वित्तीय निगम द्वारा दिये गये कुछ कर्जों, अग्रिम धन-राशियों या अनुदानों को, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सके उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५ को भी पुरः स्थापित करने का विचार है।

जंगलों के क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और जंगलों को काटने से रोका जा रहा है। जंगलों की रक्षा के लिये इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ में कुछ संशोधन करने का भी विचार है।

आपके द्वारा आवश्यक कानून पास कर दिये जाने के बाद दो नये विश्वविद्यालय, एक मेरठ में और दूसरा कानपुर में कायम करने का प्रस्ताव है। नये वर्ष के प्रारम्भ में सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में लड़कियों की फीस हाई स्कूल तक माफ कर दी गयी है। प्राविधिक व्यक्तियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये प्राविधिक शिक्षा देने वाली मौजूदा संस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है और नयी संस्थायें खोलने का भी प्रस्ताव है। गैर-सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं में सभी प्रकार के अध्यापकों के लिये १ अक्तूबर, १९६४ से त्रि-सूत्रीय लाभ योजना लागू कर दी गयी है।

उत्तर प्रदेश में बरेली से आसाम में अमीन गांव तक एक पार्श्व सड़क बनाने का काम जल्दी ही प्रारम्भ होने वाला है। इस राज्य को मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से मिलाने वाली अन्तर्राज्यिक सड़कों का सुधार करने का भी प्रस्ताव है तथा सड़कों और पुलों के बनाने के सिलसिले में दूसरे काम भी शुरू कर दिये गये हैं।

मवेशियों की बीमारी की रोक-थाम करने के विचार से आपके सामने उत्तर प्रदेश पशु-रोग विधेयक, १९६५ लाने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम को भी एक व्यापक विधेयक, अर्थात् उत्तर प्रदेश पशु परिक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य और बातों के साथ साथ इस राज्य से दुधारु पशुओं के निर्यात को विनियमित करना है।

राज्य में अधिकांश स्थानीय निकायों का आम चुनाव शांतिपूर्वक पूरा हो गया है और नगर महापालिकाओं का चुनाव अप्रैल-मई, १९६५ में करने का विचार है।

राज्य में मकानों की समस्या अभी तक विकट बनी हुई है। विभिन्न आवास योजनाओं तथा नगर विकास योजनाओं के और अच्छे समन्वयन तथा कार्यान्वयन के लिये एक आवास एवं विकास परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव है। आपके सामने इस प्रयोजन के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

लघु सिंचाई प्रयोजनाओं के निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव और मौजूदा बाढ़-रक्षा के कामों की देख-भाल, गांव सभाओं के लाजिमी कामों में शामिल करने का विचार है। इस उद्देश्य से यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ का संशोधन करने के लिये विधेयक आपके सामने लाया जायगा।

मेहतरों के कामों की दशा में और भी सुधार करने की कोशिश की गयी है। मेहतरों की तनख्वाह तथा नौकरी की अन्य शर्तों की जांच करने के लिये एक द्वितीय वेतन आयोग कायम करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जातियों की भर्ती में कमी होने से सरकार चिन्तित है। उनका १८ प्रतिशत का कोटा पूरा करने की गरज से यह तय किया गया है कि लिपिकीय तथा निम्न श्रेणी की सेवाओं में रक्षित जगहों का कोटा तब तक के लिये क्रमशः २५ प्रतिशत और ४५ प्रतिशत कर दिया जाय जब तक कि १८ प्रतिशत का कोटा पूरा न हो जाय, लेकिन शर्त यह है कि किसी एक भर्ती में कुल रक्षित जगहें ४५ प्रतिशत से अधिक न हो जायें।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बात की पूरी कोशिश की जायगी कि तीसरी योजना के अन्त तक सभी खण्डों में प्रारम्भिक चिकित्सा केन्द्र कायम हो जायें।

वर्ष १९६४–६५ के लिये अनुपूरक मांगों की दूसरी किस्त और वर्ष १९६५–६६ का बजट जल्दी ही पेश होगा। आपका अधिक समय उनमें तथा सम्बद्ध विनियोग विधेयकों में लगेगा। इसके अलावा उन अध्यादेशों की जगह, जिन्हें मैंने विधान मंडल के सत्र में न होने की दशा में प्रख्यापित किया था, आपको आवश्यक कानून बनाने पड़ेंगे तथा कुछ दूसरे और कानून भी पास करने पड़ेंगे।

मैंने संक्षेप में उन समस्याओं का जो आपके सामने हैं और उन कार्यों का जिन्हें आपको करना है उल्लेख किया है। आने वाला समय कठिन है, हमारी समस्यायें अनेक हैं। समृद्धि और खुशहाली के लक्ष्य तक पहुंचने के पूर्व हमें बहुत बड़ी मंजिल पार करनी है। आप जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं इसलिये आपको अपने अनुभव और परिश्रम से सभी अड़चनों का सामना करते हुए जनता को वांछित लक्ष्य की ओर ले जाना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मन में जनता के कल्याण की भावना सदैव सर्वोपरि रहेगी तथा आप अपने कार्यों एवं विचार-विमर्शों में प्रजातंत्र का आदर्श अपने समक्ष रखते रहेंगे।

जय हिन्द।

नत्थी 'क–१'

(देखिये पीछे पृष्ठ १५ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधेयक, १९६३ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

१—खंड २ के उपखंड "(ठ)" को उपखंड "(ट)" के रूप में और अनुवर्ती उपखंडों को तदनुसार पुनरंकित कर दिया गया है।

२—खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में "(घ)" के पूर्व शब्द "खण्ड" जोड़ दिया गया है।

३—खण्ड १०–क, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८ तथा १९ को क्रमशः खण्ड ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९ व २० के रूप में पुनरंकित कर दिया गया है।

४—पुनरंकित खण्ड १९ के उपखण्ड (३) के भाग (५) में "(intelligence market)" के स्थान पर "(market intellignce)" रख दिया गया है।

५—पुनरंकित खण्ड २० की उपांतीय टिप्पणी में शब्द "में" और शब्द "वसूल" के बीच शब्द "वसूली तथा" जोड़ दिये गये हैं।

६—खण्ड १९–क, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२ तथा ३३ को क्रमशः खण्ड २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४ तथा ३५ के रूप में पुनरंकित कर दिया गया है।

७—पुनरंकित खण्ड २३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में से शब्द "समिति विधियों या" हटा दिये गये हैं तथा पंक्ति ३ में शब्द "का" के स्थान पर कामा व शब्द "उसका" रख दिये गये हैं।

८—पुनरंकित खण्ड २३ के उपखंड (३) की पंक्ति ३ में शब्द "को" और "ऐसी" के बीच तथा पंक्ति ४ में शब्द "पर" और "नियुक्ति" के बीच कामा बढ़ा दिया गया है।

९—पुनरंकित खण्ड २४ के उपखंड (२) के भाग (क) (१) की पंक्ति ३ में शब्द "समक्ष" के स्थान पर शब्द "समस्त" रख दिया गया है।

१०—खण्ड ३३–क, ३४, ३५, ३६ व ३७ को क्रमशः खण्ड ३६, ३७, ३८, ३९ व ४० के रूप में पुनरंकित कर दिया गया है।

११—पुनरंकित खण्ड ४० के उपखंड (२) के भाग (२५) में शब्द "विवाचक" के स्थान पर शब्द "विवाचन" रख दिया गया है।

१२—खंडों को पुनरंकित किये जाने के फलस्वरूप विधेयक के विभिन्न खण्डों में उल्लिखित धाराओं की संख्याओं में आवश्यक आनुषंगिक संशोधन कर दिये गये हैं।

१३—पुनरंकित खण्ड १३ के उपखण्ड (१) के भाग (१) व (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "निकायों" के स्थान पर शब्द "निकाय" कर दिया गया है।

१४—प्रस्तावना में शब्द "चौदहवें" के स्थान पर शब्द "पंद्रहवें" कर दिया गया है।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ १५ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

(१) खंड २ की द्वितीय पंक्ति में शब्द "लम्बे" के स्थान पर शब्द "दीर्घ" कर दिया गया है।

(२) खण्ड ४ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ३-घ की उपधारा (६) की पंक्ति ४ में "किसी किर" के स्थान पर शब्द "किसी कर" कर दिये गये हैं, तथा इसी उपधारा की पंक्ति ५ में शब्द "देय" तथा "कर" पृथक कर दिये गये हैं।

(३) खण्ड ५ की प्रथम पंक्ति में "अधिनिकम" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" कर दिया गया है।

(४) खण्ड ५ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ३–ङ की उपधारा (२) (घ) में "revocgtion" के स्थान पर शब्द "revocation" कर दिया गया है।

(५) खण्ड ५ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ३-ङ की उपधारा (४) (क) में शब्द "बौध्य" के स्थान पर शब्द "बोध्य" कर दिया गया है।

(६) खण्ड ६ की पंक्ति २ में शब्द 'से' हटा दिया गया है तथा पंक्ति ३ में "उपधारा (२)" और "खण्ड" के बीच शब्द "के" जोड़ दिया गया है।

(७) खण्ड ४ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ३-घ की उपांतीय टिप्पणी में शब्द "बिक्रय-कर" के स्थान पर शब्द "विक्रय-कर" कर दिया गया है, तथा उक्त प्रस्तावित धारा की उपधारा (१) के स्पष्टीकरण की पंक्ति ३ में शब्द "क्रय" और शब्द "प्रत्येक" के बीच शब्द "को" के स्थान पर शब्द "की" कर दिया गया है।

(८) खण्ड ४ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ३-घ की उपधारा (६) (क) में "बिक्रय-धन" के स्थान पर शब्द "विक्रय-धन" कर दिया गया है।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९ पर)

उत्तर प्रदेश रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५

यू० पी० रोडसाइड लैण्ड कंट्रोल ऐक्ट, १९४५ को संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश रोडसाइड लैण्ड कंट्रोल (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

(२) धारा २ और ३, १५ अप्रैल, १९५७ से प्रचलित हुई समझी जायेंगी और शेष धारायें तुरन्त प्रचलित होंगी।

यू० पी० ऐक्ट सं० १०, १९४५ की धारा २ का संशोधन

२—यू० पी० रोडसाइड लैण्ड कंट्रोल ऐक्ट, १९४५, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ के खंड (६) के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

(६) "सड़क" का तात्पर्य राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संधारित पक्की सड़क या मार्ग पर पक्की सड़क बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सीमांकित मार्ग से है और इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ भी हैं।

धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(१) उपधारा (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि राष्ट्रीय राजपथ की दशा में, सड़क को ही नियंत्रित क्षेत्र नहीं समझा जायेगा।"

(२) उपधारा (७) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

ऐक्ट संख्या ४८, १९५६

"(८) ऐसी सड़क के सम्बन्ध में, जो बाद में नेशनल हाईवेज ऐक्ट, १९५६ के अधीन राष्ट्रीय राजपथ हो जाय, इस धारा के अधीन जारी की गयी कोई विज्ञप्ति अथवा की गयी कोई घोषणा, सड़क के इस प्रकार राष्ट्रीय राजपथ हो जाने पर भी, वैध बनी रहेगी तथा प्रचलित रहेगी।"

विज्ञप्तियों आदि का वैधीकरण

४—इस अधिनियम के प्रारम्भ किये जाने के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति, दिया गया प्रत्येक आदेश, की गयी प्रत्येक घोषणा, की गयी प्रत्येक कार्यवाही अथवा किया गया प्रत्येक कार्य, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त ऐक्ट के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति, दिया गया आदेश, की गयी घोषणा, की गयी कार्यवाही अथवा किया गया कार्य समझा जायेगा और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी विपरीत बात के होते हुए भी वैध समझा जायगा और सदैव से वैध रहा समझा जायगा।

अपवाद

५—इस अधिनियम में दी गयी किसी बात से कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य के कारण जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (१) के अधीन दंडनीय अपराध न था उक्त उपधारा के अधीन किसी दण्ड का भागी न होगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९६४ का निरसन

६—उत्तर प्रदेश रोडसाइड लैंड कंट्रोल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

———

उद्देश्य और कारण

यू० पी० रोडसाइड लैंड कंट्रोल ऐक्ट, १९४५ इस उद्देश्य से पारित किया गया था कि राज्य में राष्ट्रीय राजपथों सहित, सड़कों के किनारे बाहर की ओर फैलाव (ribbon development) को रोका जा सके।

२—उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि भले ही राज्य सरकार भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजपथों का संधारण कर रही हो, किन्तु उक्त ऐक्ट में दी गयी "रोड", की परिभाषा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ नहीं आते। इस न्यायिक निर्वचन का परिणाम यह होगा कि राष्ट्रीय राजपथों तथा भारत सरकार द्वारा संधारित अन्य सड़कों के किनारे निर्माण-कार्यों पर कोई प्रतिबन्ध न रहेगा। अतएव, यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९४५ को ऐसी सड़कों के दोनों ओर की भूमि पर लागू करने के उद्देश्य से विधि को संशोधित करना आवश्यक है।

३—तदनुसार, उत्तर प्रदेश रोडसाइड लैण्ड कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६४ विधान मंडल के पिछले सत्र में पुरःस्थापित किया गया था किन्तु इसके पूर्व कि विधेयक अधिनियम बन जाता, विधान मंडल स्थगित कर दिया गया और बाद में उसका सत्रावसान हो गया।

४—चूंकि राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था और राष्ट्रीय राजपथों के किनारे निर्माण-कार्यों पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक समझा गया, इसलिए उत्तर प्रदेश रोडसाइड लैण्ड कंट्रोल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९६४) प्रख्यापित किया गया था।

५—तदनुसार, उत्तर प्रदेश रोडसाइड लैण्ड कंट्रोल (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ को प्रस्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश रोडसाइड लैण्ड कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५ पुरःस्थापित किया जाता है।

जगनप्रसाद रावत,
सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

RA
4086

मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण जो कि उत्तर प्रदेश रोडसाइड लैण्ड कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९६५ से प्रभावित है ।

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

xx xx xx xx

(6) "road" means metalled road maintained by the State Government or by a local authority or a route demarcated by the State Government or a local authority with a view to constructing along it a metalled road.

3. (1) The State Government may, by notification in the official *Gazette*, declare any land within a distance of four hundred and forty yards from the centre line of any road to be a controlled area for the purpose of this Act.

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १९ पर)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९६५

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ को और संशोधित करने के लिए विधेयक

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० २, १९१६ की धारा ४३—एए का संशोधन।

२—(१) यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४३—एए की उपधारा (२) के खण्ड (बी) को निकाल दिया जाय तथा १ मई, १९५८ से निकाला गया समझा जाय।

(२) इस धारा के उपबन्ध उन समस्त कार्यवाहियों पर भी लागू होंगे जो १५ दिसम्बर, १९६४ को किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों।

निर्वाचनों के संबंध में, संक्रमणकालीन उपबन्ध

३—(१) मूल अधिनियम, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९६४ (जिसे आगे संशोधक अधिनियम कहा गया है) द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व था, की धारा २२ की उपधारा (२) के अधीन किसी जिले के कलेक्टर को या धारा ४३—बी की उपधारा (३) के अधीन किसी अधिकारी को, १५ दिसम्बर, १९६४ के पूर्व, चाहे वह संशोधक अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हो अथवा पश्चात्, प्रस्तुत की गयी कोई निर्वाचन याचिका उक्त कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा संशोधक अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (५) या, यथास्थिति, धारा ४३—बी की उपधारा (३) में उल्लिखित जज (Judge) को हस्तांतरित कर दी जायगी और तत्पश्चात् उस पर इस प्रकार यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

(२) जब कोई याचिका उपधारा (१) के अधीन जज को हस्तांतरित की जाय तो जज, याचिकाओं के संस्थित करने की अवधि के समाप्त हो जाने पर भी, याची द्वारा १५ दिसम्बर, १९६४ से तीस दिन के भीतर तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसे याचिका में ऐसा संशोधन करने की अनुमति दे सकता है जिससे कि वह याचिका में किसी पक्ष को सम्मिलित कर सके या अन्य प्रकार से उसे संशोधक अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप बना सके।

निरसन तथा व्यावृत्ति

४—(१) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ६, १९६४

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम १५ दिसम्बर, १९६४ को प्रारम्भ हुआ हो।

उद्देश्य और कारण

जब नगरपालिका बोर्डों के सामान्य निर्वाचन हो रहे थे तब उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा १८ के अधीन जिला परिषदों के सदस्यों के विभिन्न वर्गों की पात्रता के सम्बन्ध में यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा ४३–ए ए की उपधारा (२) के खंड (बी) के उपाशयों के बारे में कुछ सन्देह उठाये गये थे। समस्त दलों को निरर्थक मुकदमेबाजी से बचाने तथा निर्वाचनों का सुचारु तथा निर्विहन रूप से संचालन करने के हित में यह निर्णय किया गया कि उक्त खंड को निकाल कर स्थिति स्पष्ट कर दी जाय क्योंकि यह स्पष्ट था कि जिला परिषदों की नयी व्यवस्था में भूतपूर्व जिला बोर्डों के सदस्यों के तदनुरूप कोई सदस्य न थे।

इस अवसर का उपयोग ऐसी निर्वाचन याचिकाओं के सम्बन्ध में भी व्यवस्था करने के लिए किया गया है जो या तो उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९६४, जो ३० नवम्बर, १९६४ को प्रचलित हुआ था, के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व गलती से अथवा उसके प्रारम्भ होने के कुछ ही समय पश्चात् अनभिज्ञता के कारण प्रस्तुत की गई हो।

चूंकि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, इसलिए उक्त प्रयोजनों के लिए १५ दिसम्बर, १९६४ को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। अब, उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विधेयक तैयार किया गया है।

तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चतुर्भुज शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री।

मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण जिसका संशोधन होना है

43-AA. A person shall not be qualified to be chosen as President of board unless he—

(*a*) is an elector for any ward in the municipality concerned ; and

(*b*) is not less than 30 years of age on the date of his nomination as a candidate for election to the office of President under section 43-C.

(2) A person shall be disqualified for being chosen and for being a President of a board if he—

(*a*) is or has become subject to any of the disqualifications mentioned in clauses (*a*) to (*j*) of section 13-D and the disqualification has not ceased or been removed under the said section ; or

(*b*) is a member of a District Board under the U. P. District Boards Act, 1922.

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २० पर)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ को और संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३ की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ की धारा ३ के अन्त में आये हुए पूर्णविराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारण से जो राज्य सरकार के वश के बाहर हो, किसी स्थानीय निकाय का ३१ दिसम्बर, १९६४ के पूर्व सामान्य निर्वाचन करना अथवा उसे पूरा करना या निकाय के पुनस्संघटन को विज्ञापित करना सम्भव न हो तो, राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि ऐसे स्थानीय निकाय के सम्बन्ध में यह धारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानों अंक तथा शब्द '३१ दिसम्बर, १९६४' के स्थान पर अंक तथा शब्द '३१ मार्च, १९६५' रख दिये गये हों।"

निरसन तथा अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १९६४

३—(१) उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६४ निरस्त किया जाता है।

(२) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम २९ दिसम्बर, १९६४ को प्रारम्भ हुआ हो।

उद्देश्य और कारण

राज्य के स्थानीय निकायों के पिछले सामान्य निर्वाचन अक्तूबर-नवम्बर, १९५७ में हुए थे। अधिकांश नगरपालिका बोर्डों, टाउन एरिया कमेटियों तथा नोटीफाइड एरिया कमेटियों का कार्यकाल अक्तूबर नवम्बर, १९६१ में समाप्त होने वाला था। इन स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन समय-समय पर किसी न किसी कारण से स्थगित किये जाते रहे। उनका कार्यकाल अन्तिम बार उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९६४ द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ द्वारा ३१ दिसम्बर, १९६४ तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ये निर्वाचन अधिक से अधिक उस दिनांक तक सम्पन्न हो जाने थे, किन्तु कतिपय कठिनाइयों के कारण कुछ स्थानीय निकायों का संघटन करना सम्भव न हो सका। चूंकि उस समय विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, इसलिए राज्य सरकार को २९ दिसम्बर, १९६४ को एक अध्यादेश ऐसे स्थानीय निकायों का कार्यकाल ३१ मार्च, १९६५ तक अथवा उनके पुनस्संगठन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का अधिकार देने के लिए प्रख्यापित करना पड़ा। उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए अब एक विधेयक तैयार किया गया है।

तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चतुर्भुज शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ की संगत धारा का उद्धरण

* * * *

कतिपय नगरीय निकायों के कार्यकाल अस्थायी रूप से बढ़ाना

३—किसी स्थानीय निकाय का बढ़ाया गया कार्यकाल जो ३१ दिसम्बर, १९६४ से पहले समाप्त होने वाला है और जिसे यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के उपबन्धों के अधीन बढ़ाया नहीं जा सकता, उसके पुनः संघटन के दिनांक तक बढ़ा रहेगा, किन्तु ३१ दिसम्बर, १९६४ के बाद नहीं, और इस प्रकार बढ़ाये गये कार्यकाल का वही प्रभाव होगा मानों वह, यथास्थिति, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १०—ए की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड या यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ६ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन बढ़ाया गया हो।

यू० पी० ऐक्ट, संख्या २, १९१६
यू० पी० ऐक्ट, संख्या २, १९१४
यू० पी० ऐक्ट, संख्या २, १९१६
यू० पी० ऐक्ट, संख्या २, १९१४

विधान भवन

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ २० पर)

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५

विशेष पुलिस दल के रूप में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के संघटन, अधीक्षण तथा प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, १९६५ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

सतर्कता अधिष्ठान का संघटन तथा अधिकार

२—(१) पुलिस ऐक्ट, १८६१ में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार धारा ३ के अधीन विज्ञापित अपराधों का अनुसंधान करने के लिए एक विशेष पुलिस दल संघटित कर सकती है जो उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान कहलायेगा ।

(२) किन्हीं भी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार तदर्थ दे, ऐसे अपराधों का अनुसन्धान करने तथा ऐसे अपराधों से सम्बद्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में उक्त अधिष्ठान के सदस्यों को वे सभी अधिकार, कर्त्तव्य, विशेषाधिकार तथा दायित्व होंगे जो ऐसे अपराधों के अनुसन्धान करने के सम्बन्ध में राज्य के सामान्य पुलिस दल के तदनुरूप पद धारण करने वाले पुलिस अधिकारियों को हैं और तत्समय किसी विधि के अन्तर्गत अधिकार प्रदान किये जाने के निमित्त वे राज्य के सामान्य पुलिस दल में तदनुरूप पद धारण करने वाले पुलिस अधिकारी समझे जायंगे ।

(३) उक्त अधिष्ठान का उप निरीक्षक अथवा उससे ऊंचे पद का कोई सदस्य, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ किये जाने वाले किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, उपधारा (२) के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में, उस क्षेत्र में जिसमें वह तत्समय हो, थाने के प्रभारी अधिकारी के किन्हीं भी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और जब वह उपर्युक्त किन्हीं ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए ऐसे अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग करें तो वह अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिए थाने का प्रभारी अधिकारी समझा जायगा ।

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अपराधों का अनुसन्धान किया जाना

३—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसे अपराधों अथवा अपराधों के ऐसे वर्गों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनका अनुसन्धान उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा किया जाना हो ।

सतर्कता अधिष्ठान का अधीक्षण तथा प्रशासन

४—(१) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा ।

(२) उक्त अधिष्ठान का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त ऐसे अधिकारी में निहित होगा जो सतर्कता निदेशक कहलायेगा और वह उक्त अधिष्ठान के सम्बन्ध में, राज्य के साधारण पुलिस दल के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रयोक्तव्य ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करे।

(३) इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के रहते हुए, पुलिस ऐक्ट, १८६१ और तद्धीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के उपबन्ध जैसे कि वे राज्य के सामान्य पुलिस दल के सम्बन्ध में लागू होते हों उक्त अधिष्ठान के सदस्यों के सम्बन्ध में ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा लोप के रूप में हों, लागू होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा उनमें इस अधिनियम के प्रयोजनों से संगत किये जायें।

निरसन तथा अपवाद

५—(१) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अध्यादेश, १९६५ निरस्त किया जाता है।

(२) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन दिया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम ५ जनवरी, १९६५ को प्रारम्भ हुआ हो।

उद्देश्य और कारण

इस समय ऐसी शिकायतों की, जिनमें राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अन्य अनाचारों के आरोप होते हैं, सतर्कता निदेशालय द्वारा जांच की जाती है, जो कि सतर्कता आयोग योजना के अनुसार स्थापित किया गया है। सतर्कता निदेशालय द्वारा जांच कार्य करने की नियमावली के द्वारा निदेशालय को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (दण्ड प्रक्रिया संहिता) के उपबन्धों के अनुसार शिकायतों का तब तक अनुसन्धान करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता था जब तक कि निदेशालय के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के रूप में कार्य करने तथा पुलिस ऐक्ट एवं उसके अधीन बनाये गये विशिष्ट नियमों और विनियमों को उन पर लागू करने के लिए कोई सांविधिक उपबन्ध (statutory provision) नहीं किए जाते।

२—सतर्कता निदेशालय को जांच के लिए मामले बहुत बड़ी संख्या में सौंपे जा चुके थे, और यह समझा गया कि जब तक निदेशालय के अधिकारियों को पुलिस अधिकार नहीं दिये जाते, इन मामलों के अनुसन्धान में शीघ्रता से प्रगति नहीं हो सकती। चूंकि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था और जो मामले निदेशालय को जांच के लिए दिये जा चुके थे, उनकी जांच अधिनियम पारित होने तक स्थगित नहीं की जा सकती थी, इसलिए ५ जनवरी, १९६५ को उत्तर प्रदेश सतर्कता अध्यादेश, १९६५ प्रख्यापित किया गया जिसमें सतर्कता निदेशालय के अधिकारियों को पुलिस अधिकार दिये गये। अब उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थापन करने के लिए एक विधेयक तैयार किया गया है।

तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विधेयक), १९६५ के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन पत्र

विधेयक के खंड २ (१) के अधीन राज्य सरकार को कुछ अपराधों की जांच के लिए एक विशेष पुलिस दल संघटित करने का अधिकार दिया गया है जो उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान कहलायेगा। फिलहाल सतर्कता अधिष्ठान के लिये राज्य पुलिस संगठन से पुलिस अधिकारी लिये गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष में २,०६,००० रु० की व्यवस्था की गयी है। ऐसी आशा की जाती है कि यह संगठन अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् १९६५-६६ में भी कार्य करेगा। चूंकि सतर्कता अधिष्ठान अभी हाल में संघटित हुआ है अतः भविष्य में इसकी आवश्यकताओं का ठीक ठीक पूर्वानुमान सम्भव नहीं है। कुछ और अनुभव प्राप्त होने के बाद स्थिति स्थिर हो जायगी।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ में दिये हुये ऐसे उपबन्धों के सम्बन्ध में ज्ञापन पत्र जिनमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ में निम्नलिखित अधिकारों के प्रतिनिधान का प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त है।

विधेयक का खंड ४ (३) राज्य सरकार को पुलिस ऐक्ट, १९६१ और तद्धीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों को सतर्कता अधिष्ठान के सदस्यों पर लागू करने के लिये आवश्यक अनुकूलन का अधिकार प्रदान करता है जो कि परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा लोप के रूप में हो।

उपरोक्त विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान का प्रस्ताव सामान्य प्रकार का है।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १९२ एल० ए०—१९९५—८६० ।